



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ-226001

दूरभाष: पी0बी0एक्स0, 26225439, 2622363, 2628461

फैक्स:- 0522-2274526, 2628841, 2274578

पत्रांक: 495रो/2020-848 रो/78 वैल्यू-11

दिनांक: 2 मार्च, 2020
16

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो/वित्त),
उ0प्र0परिवहन निगम।

विषय: होली पर्व हेतु लागू प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त एक अन्य प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किए जाने विषयक।

उपर्युक्त विषयक निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या-377रो/2020-848रो/78 वैल्यू-11, दिनांक 27.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा होली पर्व के दृष्टिगत दिनांक 06.03.2020 से 15.03.2020 तक की अवधि में 10 दिन लगातार डियुटी करने वाले चालकों/परिचालकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से किया गया था।

वर्तमान में उ0प्र0परिवहन निगम के अधिकांश क्षेत्रों में चालकों/परिचालकों का अभाव है, फिर भी ऐसे चालक/परिचालक जो वर्तमान में निगम में कार्यरत हैं, उनके द्वारा बसों का अधिकाधिक संचालन करते हुए यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा सुलभ कराई जाए, इसके दृष्टिगत निगम बसों का संचालन एवं आय का स्तर बनाए रखने हेतु निगम स्तर पर एक अन्य प्रोत्साहन योजना, जो कि होली पर्व में लागू प्रोत्साहन योजना से अतिरिक्त होगी, को निम्नवत् लागू किया जा रहा है:-

“चालक/परिचालक, जिनके द्वारा दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि में कुल 14 दिन डियुटी करने एवं 4000 किमी0 प्राप्त किया जाता है, को एकमुश्त रु0 1,000/- का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान प्रोत्साहन स्वरूप किया जाएगा। यह प्रोत्साहन समस्त श्रेणी के संविदा एवं नियमित चालकों/परिचालकों(उत्कृष्ट एवं उत्तम प्रोत्साहन योजना के अर्न्तगत चयनित कार्मिकों सहित) हेतु प्रभावी होगा।

उपरोक्त प्रोत्साहन की पात्रता के अर्न्तगत ऐसे चालक/परिचालक अर्ह होंगे, जिनके द्वारा इस अवधि में कोई दुर्घटना/भ्रष्टाचार न किया गया हो तथा क्षेत्रवार न्यूनतम लोड फैक्टर निम्नवत् अर्जित किया गया हो :-

क्षेत्र का नाम	न्यूनतम लोड फैक्टर
आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूटधाम, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, झाँसी, लखनऊ	55%
आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, हरदोई, बरेली, देवीपाटन, नोएडा, इटावा,	60%


उपरोक्तानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार डिपो स्तर पर कराते हुए, पात्र चालकों/परिचालकों को प्रोत्साहन भुगतान परीक्षणोपरान्त क्षेत्रीय स्तर से ही किया जाएगा। तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डा० राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01-निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 02-वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 03-मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 04-समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।


(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)